~ विज्ञापन ~

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
राज्य सेवा परीक्षा-2008

नोटः- छ.ग. शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 एवं अधिसूचना क्र. एफ 6-3/2008/1/एक रायपुर दिनांक 16.09.2008 के फलस्वरूप एवं विभाग से प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 09/2008/परीक्षा/दिनांक 03/09/2008, प्रकाशन दिनांक 05/09/2008 को निरस्त कर विज्ञापन क्र. 10/2008/परीक्षा/दिनांक 20/09/2008 जारी किया जाता है।

विज्ञापन क्रमांक 10/2008/परीक्षा/दिनांक 20/09/2008	**भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 03/11/2008**

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 01/02/2009

एक- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद पश्चात परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम - 1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2009 को आयोजित की जाने वाली “प्रारंभिक परीक्षा” के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

दो- राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 के परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

तीन- इस परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिए चयन किया जाएगा।

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राज्य सिविल सेवा (डिप्टी कलेक्टर) सामान्य प्रशासन विभाग	16	05	04	05	04	01	01	01	-	-	30
2	उप अधीक्षक पुलिस गृह विभाग	22	06	08	06	02	01	01	-	-	-	42
3	जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	03	-	01	01	-	-	-	-	-	-	05
4	सहायक संचालक जन संपर्क जन संपर्क विभाग	01	01	02	-	-	-	-	-	-	-	04
5	सहायक संचालक (जिला महिला एवं बाल विकास	07	02	03	02	02	01	01	01	-	-	14

	अधिकारी) जि.म.बा.वि.वि.											
6	सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त एवं योजना विभाग	02	01	-	-	-	-	-	-	-	-	03
7	खाद्य अधिकारी/सहायक संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	02
8	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	03	04 (03 बैकलाग)	03 (01 बैकलाग)	01	01	- (01 बैकलाग)	-	-	-	-	11
9	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी कोष लेखा एवं पेंशन वित्त एवं योजना विभाग	16	06	06	04	05	02	02	01	01 (अना.) 01 (अ.जा.)	01 (अना.) 01 (अ.जा.) 01 (अ.ज.जा.)	32
10	नायब तहसीलदार राजस्व विभाग	66	20	26	18	20	06	08	05	03 (अना.) 01 (अ.जा.) 01 (अ.ज.जा.) 01 (अ.पि.व.)	06 (अना.) 02 (अ.जा.) 03 (अ.ज.जा.) 02 (अ.पि.व.)	130

11	आबकारी उप निरीक्षक वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	08	03	04	02	02	01	01	-	-	01 (अना.)	17
12	परिवहन उप निरीक्षक परिवहन विभाग	09	03	03	02	01	-	-	-	-	-	17
13	उप पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03
14	सहायक जेलर गृह (जेल) विभाग	07	02	03	02	02	-	01	-	-	-	14
	योग	163	53	65	43	39	13	15	08	08	17	324

''पदों की संख्या परिवर्तनीय है''

विकलांग ''अस्थिबाधित'' ही मान्य होगा।

टीपः- (1) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेंगे ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वे आरक्षित हैं।
परन्तु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर निर्धारित संख्या में महिलायें, मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध हो जाती हैं तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरूद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला आवेदक का चयन नहीं किया जावेगा।

टीपः- (2) विज्ञापन की पैरा - 3 में उल्लेखित पदों की संख्या एतद पश्चात समय-समय पर शासन से प्राप्त सूचना/जानकारी

शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे बल्कि इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

चार - (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिए आरक्षित है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं।

(3) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के हैं वे आवेदन पत्र में अपना वर्ग अंकित करें।

(4) जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित उम्मीदवार के साथ विचारित किये जायेंगे।

(5) आवेदन पत्र में अपना वर्ग अंकित करने के पश्चात आवेदक द्वारा अपने वर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाऐगा।

पाँच - पदों का वेतनमान-

पद क्रमांक 1 से 7 के लिए रूपये 8000-275-13500/-
पद क्रमांक 8 के लिए रूपये 5500-175-9000/-
पद क्रमांक 9 के लिए रूपये 5000-150-8000/-
पद क्रमांक 10 से 11 के लिए रूपये 4500-125-7000/-
पद क्रमांक 12 से 14 के लिए रूपये 4000-100-6000/-
निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

छः- (अ) प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र

कोड नंबर	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	अंबिकापुर
02	बैंकुण्ठपुर (कोरिया)
03	बिलासपुर
04	धमतरी
05	दुर्ग-भिलाई
06	दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
07	जगदलपुर (बस्तर)
08	जांजगीर-चांपा
09	जशपुर
10	कबीरधाम (कवर्धा)
11	कांकेर (उत्तर बस्तर)
12	कोरबा
13	महासमुन्द
14	रायपुर
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव

(ब) मुख्य परीक्षा के केन्द्र

कोड नंबर	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	अंबिकापुर
02	बिलासपुर
03	जगदलपुर
04	रायपुर

टीपः-(1) आयोग द्वारा आवेदकों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आबंटित किया जायेगा एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है।

सात - मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन : प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो आवेदक मुख्य परीक्षा के लिये परीक्षा परिणाम के आधार पर पात्र होंगे, उन्हें इस हेतु निमित्त निर्धारित प्रपत्र में पुनः आवेदन करना होगा।

आठ - न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

टीप (एक) : उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हो/बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे समस्त उम्मीदवारों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा- उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर ऐसा आवेदन निरस्त किया जायेगा।

टीप (दो) : ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

नौ -आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि : आवेदकों के राज्य सेवा परीक्षा 2008 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01 जनवरी 2009 के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव आवेदक, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।

आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें -

1. राज्य आरक्षी सेवा के उप अधीक्षक पुलिस के पदों के आवेदकों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा-

(अ) - आयु सीमा - छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दि. 23.4.2003 एवं छ.ग.शासन गृह विभाग के ज्ञाप. क्रमांक एफ-2-67/रापुसे/गृह/दो/2007 रायपुर, दिनांक 31.07.2007 के अनुसार उप अधीक्षक पुलिस हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। पुलिस विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार आयु सीमा लागू होगी।

(आ) - (एक) आयु सीमा में छूटें:-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदक के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

2. कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

3. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

4. कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

5. स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला आवेदकों की उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह छूट आयु सीमा संबंधी अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

7. विधवा-परित्यकता अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
8. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
9. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
10.राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ई) उप अधीक्षक पुलिस के लिये शारीरिक मापदंडः-
(क) ऊँचाई - 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक : (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)।
(ख) सीना - बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए।
(घ) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (विजन टेस्ट) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।
(ङ) यदि अभ्यर्थी उप अधीक्षक पुलिस के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते है। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते है, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात उनके द्वारा दिये गये कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।

2. उप अधीक्षक पुलिस के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार हैः-
(अ) आयु सीमा - छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 16.09.2008 के प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगी -

- आवेदक द्वारा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिये आयु की गणना हेतु अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रहेगी।
- उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भरती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्था निर्धारित/प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भरती के लिये लागू रहेगी।

- अन्य विशेष वर्ग जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(आ) आयु सीमा में छूटें -

(1) राज्य सेवा परीक्षा नियम- 5(ग) (आ) में उल्लेखित क्रमांक (एक) से (अठारह) तक की छूटें उम्मीदवार को दी जायेगी। किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) निःशक्तजनों को जिनकी शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, केवल तृतीय श्रेणी के पदों हेतु 10 वर्ष तक की छूट, अधिकतम आयु सीमा में होगी।

(3) अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम- 9 में उल्लेखित है।

दस - आवेदन शुल्क एवं आवेदन पत्रों की उपलब्धताः-

(अ) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिये आवेदन-पत्र का मूल्य कुल रूपये 200/- (रूपये दो सौ) होगा।

(ब) शेष सभी श्रेणी के एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये आवेदन-पत्र का मूल्य 300/- (रूपये तीन सौ) होगा। आवेदन-पत्र छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित डाकघरों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगाः-

क्र.	जिले का नाम	प्रधान/मुख्य डाकघर	उपडाकघर
1.	रायपुर	रायपुर	रायपुर गंज/आर.एस.यू./ शंकर नगर/कचहरी/ भाटापारा
2.	धमतरी	धमतरी	-
3.	महासंमुद	महासंमुद	-
4.	दुर्ग	दुर्ग	सिविक सेंटर भिलाई/ भिलाई सेक्टर-1/बालोद
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	डोंगरगढ़
6.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	-
7.	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर आर.एस./कोनी
8.	कोरबा	कोरबा	जमनीपाली
9.	जाँजगीर	जाँजगीर	-
10.	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़/खरसिया
11.	सरगुजा	अंबिकापुर	सूरजपुर
12.	जशपुर	जशपुरनगर	पत्थलगाँव
13.	कोरिया (बैंकुंठपुर)	-	बैंकुंठपुर/मनेन्द्रगढ़
14.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	कोंडागाँव/नारायणपुर

15.	कांकेर	कांकेर	भानुप्रतापपुर
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	बीजापुर

टीप- (एक) -उपरोक्तानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क केवल “प्रारंभिक परीक्षा” के लिये है।

(दो) - आयोग को प्राप्त परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।

(तीन) - आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात मुख्य परीक्षा के लिये पात्र आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र पृथक से यथा समय प्रेषित किया जायेगा। उक्त आवेदन-पत्र के साथ मुख्य परीक्षा के लिये निर्धारित परीक्षा शुल्क आवेदक को जमा करनी होगी। आवेदकों के द्वारा परीक्षा शुल्क के बगैर मुख्य परीक्षा के लिये प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

ग्यारह -

- **आवेदन-पत्र के संबंध में:-** प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदन-पत्र क्रमांक अंकित होगा।
- आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उपरोक्त डाकघरों में दिनांक 22.09.2008 से आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक 03.11.2008 शाम 4.00 बजे तक विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगा।
- आवेदन पत्र अंतिम तिथि 03.11.2008 के शाम 5.00 बजे तक इस विज्ञापन में उल्लेखित डाक घरों में (आयोग द्वारा चिन्हांकित डाक घर) जमा करना अनिवार्य होगा। डाक घर में विलंब से जमा किये गये आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- किसी भी स्थिति में आयोग को सीधे आवेदन-पत्र न भेजें, क्योंकि आवेदकों द्वारा आयोग को सीधे भेजे गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उक्त स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- प्रत्येक आवेदक केवल एक आवेदन पत्र ही डाक घर में जमा करें। किसी आवेदक के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किये जा सकते हैं।
- आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होगा।

बारह - आवेदन कैसे करें:-

1. सुविधा के लिये ओ.एम.आर.आवेदन-पत्र भरने हेतु निर्देश आवेदन-पत्र के साथ उपलब्ध निर्देश-पुस्तिका में भी दिये गये हैं, जिसको सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदक आवेदन-पत्र को भरें।

2. संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें।

3. आवेदक अपने फोटो की तीन प्रतियां बनवा लें क्योंकि इस परीक्षा के विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली फोटो में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। फोटो के नीचे दिये खाने में आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
4. जो आवेदन पत्र अधूरे या गलत भरे हुए होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा एवं इस संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी जायेगी। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक "निर्देश-पुस्तिका" पढ़कर ही आवेदन-पत्र भरें।

तेरह - आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के अनुसार वे सभी आवश्यक अर्हताएं एवं आयु सीमा की शर्तें पूर्ण करते हैं तथा आश्वस्त हो लें कि आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ विज्ञापन के अनुसार सही-सही की गई है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे विज्ञापन में निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकार कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

चौदह - (अ) आयोग के वेब-साईट **www.cgpsc.in** में विज्ञापन, संबंधित निर्देश, राज्य सेवा परीक्षा नियम, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना आदि देखा जा सकता है।

(ब) आयोग द्वारा विज्ञापनों व चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न जानकारी आवदकों के हितार्थ समय-समय पर आयोग की वेब-साईट **www.cgpsc.in** में दी जाती है। अतः आवेदकों को चाहिए कि आयोग की वेब-साईट के सम्पर्क में रहकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

पंद्रह - विज्ञापन में प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के स्थान के समक्ष कोड नंबर का उल्लेख किया गया है तदानुसार आवेदन पत्र में कोड नंबर का उल्लेख करें। कृपया तालिका देखकर ही कोड क्रमांक भरें।

सोलह - नियोक्ता की अनापत्तिः- सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र सीधे चिन्हित डाक घरों में जमा करें।
जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) उनको अथवा लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत है, उनको यथा स्थिति मुख्य परीक्षा के समय यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उसके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुये

उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

सत्रह - प्रवेश-पत्र

1. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा तब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

2. जिन आवेदकों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र इस हेतु डाक विभाग द्वारा चिन्हित किसी डाकघर में अंतिम तिथि अर्थात दिनांक **03.11.2008 सायंकाल 5.00** बजे तक प्राप्त हो जायेंगे उनमें से अर्हता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश पत्र साधारण डाक से भेजा जायेगा।

3. यदि दिनांक **20.01.2009** तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके तत्काल पश्चात आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। आयोग कार्यालय से उन्हें प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति दी जायेगी।

अठारह - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के आवेदकों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न सुविधाएं केवल छत्तीसगढ़ के निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ही लागू होगी। अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा।

टीपः- समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपना स्थायी जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) का बनाकर तैयार रखें। मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ उक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित (Self Attested) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) का उपर्युक्तानुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आयोग द्वारा रियायत देना संभव नहीं होगा और ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

उन्नीस - आवेदक को आयोग में पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, ओ.एम.आर. क्रमांक तथा अनुक्रमांक, जन्म तिथि, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिये।

बीस - आवेदक आवेदन-पत्र में यथा स्थान (1) स्वयं के फोटो के नीचे (2) घोषणा-पत्र में निर्देशानुसार हस्ताक्षर अवश्य करें, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

इक्कीस - परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक या प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग का प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न-पत्र को क्षति पहुंचाना, निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देश

की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, धमकी देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना आदि को दण्डनीय माना जायेगा।

महत्वपूर्ण -

बाईस - अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी - आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी गोले और खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानी पूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें। जानकारी भरने हेतु निर्धारित गोले ○काले करें एवं उससे उपर बने खाने में काले किए गए गोले का अंक लिखे। गोले ○या खाने □में लिखे अंक/अंकों में फर्क आने पर खाने □में लिखा अंक मान्य किया जावेगा। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर अस्वीकृत किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाणपत्र देने अथवा आवेदन पत्र में जाति संबंधी गलत जानकारी भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी आयोग चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा।

तेईस - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा।
तृतीय श्रेणी के पदों के लिए विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा (बोली) अथवा स्थानीय बोलियों का पर्याप्त ज्ञान को महत्व देते हुये साक्षात्कार के अंक दिये जायेंगे।

चौबीस -अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आयोग की वेब-साईट www.cgpsc.in में भी उपलब्ध करायी जायेगी। अनुचित साधन प्रयोग, कम/अधिक आयु, गलत जानकारी इत्यादि देने वाले प्रकरणों के कारण जिन आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उनके प्राप्तांकों की जानकारी वेब-साईट में दर्शित नहीं की जाएगी।

पच्चीस - आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है और इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

छब्बीस - यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा "रोजगार और नियोजन" अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब-साईट में यथा समय दी जावेगी।

सत्ताईस - अन्तिम तिथि तक तथा समय के भीतर आवेदन पत्र किसी भी चिन्हित डाकघरों में जमा करने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदक प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अर्जित नहीं करेंगे।

अट्ठाइस - मूल आवेदन पत्र में एक बार की गई प्रविष्टियों को परिवर्तित, परिवर्धित अथवा संशोधित करने की अनुमति किसी भी अवस्था में नहीं दी जायेगी।

उनतीस - अत्यन्त महत्वपूर्ण- (अ) विकलांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। लिफाफे पर भी विकलांग/भूतपूर्व सैनिक लिखें। (ब) दृष्टिहीन तथा अन्य विकलांग आवेदकों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अशासकीय चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्रों के लिये 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। दृष्टिहीन आवेदकों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आयोग कार्यालय से कम से कम 15 दिन पूर्व संपर्क करें। इसके लिये स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। परीक्षा केन्द्र पर कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की जावेगी।

तीस - राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु आयोग कोई प्रमाण पत्र नहीं मंगवा रहा है। सभी प्रमाणपत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना है। विकलांग/भूतपूर्व सैनिक ही केवल अपनी विकलांगता एवं स्वयं का भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र के साथ भेजेंगे, इसे स्टेपल या पिन नहीं करेंगे।

इकतीस - (1) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रावीण्य सूची बनेगी। इस प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों के वर्गवार पंद्रह गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को सम्मिलित किया जायेगा जो मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

(2) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2008 के ऐच्छिक विषयों में स्केलिंग पद्धति लागू की जायेगी। इसमें आवेदकों के ऐच्छिक विषय में प्राप्त अंकों को स्केल Scale किया जावेगा। इस हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जावेगा।

सूत्र स्केल्ड अंक = M + (X - m) S/s

यहाँ M = राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के विभिन्न 25 ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (Raw Marks) का ओव्हरऑल माध्य (Overall Mean)

X = आवेदक द्वारा किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंक (Raw Marks)

m= किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये अंकों (Raw Marks) का माध्य (Mean)

S= सभी 25 ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (Raw Marks) का मानक विचलन (standard deviation)

s= किसी ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (Raw Marks) का मानक विचलन (standard deviation)

(3) मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषयों के स्केलिंग, विषय-वार, प्रश्न-पत्रवार होगी। स्केलिंग पद्धति अपनाकर जो अंक प्राप्त

होंगे, उन अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों के साथ जोड़कर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी। इस प्रकार बनी प्रावीण्य सूची में, विज्ञापित पद की संख्या के तीन गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक भी साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किये जायेंगे।

बत्तीस - विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जावेगा तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन होगा। आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा।

तैंतीस - साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अग्रमान्यता पत्रक में दिये अधिमान के क्रम अनुसार पद आंबटित किये जायेंगे। अग्रमान्यता पत्रक में जिन पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया जायेगा उन पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।

चौंतीस - मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा एवं आवेदक का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा। इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

हस्ता/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर

महत्वपूर्ण

- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाना है। परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता स्वयं सुनिश्चित कर ले। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ में स्थित एवं विज्ञापन की कंडिका 10 में उल्लेखित डाक घरों में नगद भुगतान पर दिनांक 22.09.2008 से विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगा।
- आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक 03.11.2008 सांय 5.00 बजे तक ही विज्ञापन की

कंडिका 10 में चिन्हित डाक घरों में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। विलंब से आने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में आयोग को सीधे आवेदन-पत्र न भेजे, आयोग को सीधे भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 01 फरवरी 2009 को राज्य के 16 परीक्षा केन्द्रों में जिसका उल्लेख विज्ञापन की कंडिका छः (अ) में दिया गया है, में आयोजित की जावेगी।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों को भरने से पूर्व आवेदन-पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई निर्देश पुस्तिका का भली-भांति अध्ययन कर ले।
- आयोग के वेब-साईट **www.psc.cg.gov.in** में भी राज्य सेवा परीक्षा-2008 के विज्ञापन, राज्य सेवा परीक्षा नियम, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम एवं संबंधित निर्देष आदि देखा जा सकता है। साथ ही आयोग के वेब-साईट पर समय-समय पर परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश, परिणाम आदि जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

नोटः- छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंधित है ।